भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

60AE 961349

समझौता ज्ञापन का प्रारूप संलग्न है :-

20/4/2023

प्राचार्या
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला
पी० जी० कालेज, गोरखपुर

20/4/2023

PRINCIPAL TRUSTEE
Diptiman Sanskriti Foundation
for Art, Culture and Heritage
Registration No. [illegible]

Memorandum of Understanding
समझौता ज्ञापन

यह समझौता ज्ञापन आज दिनांक 20|04|2023 को गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में ;

चन्द्रकान्ति रामावती देवी आर्य महिला पीजी कॉलेज, दीवान बाज़ार, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) जरिये प्रधानाचार्य / प्रबंधक (अधिकृत हस्ताक्षरी) जिन्हें इसके बाद प्रथम पक्ष कहा जाएगा ;

एवं

दीप्तिमान संस्कृति फाउंडेशन फॉर आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज, (भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन पंजीकृत एक न्यास), केन्द्रीय कार्यालय स्थित – मकान संख्या - 385 बी, शकुंतला भवन, आज़ाद नगर कॉलोनी, रुस्तमपुर, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) – 273016 जरिये प्रधान न्यासी एवं अध्यक्ष न्यासीमण्डल **संदीप कुमार श्रीवास्तव,** पुत्र - बृज कुमार श्रीवास्तव जिन्हें इसके बाद द्वितीय पक्ष कहा जाएगा ;

के मध्य आपसी वार्ता, समझौते और सहमति के आधार पर उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित और निष्पादित किया जा रहा है।

चूंकि प्रथम पक्ष महानगर गोरखपुर में संचालित एक प्रतिष्ठित अकादमिक संस्था है जिसके द्वारा अकादमिक क्षेत्र में उल्लेखनीय पाठ्यक्रमों के अंतर्गत मान्यताप्राप्त विविध उपाधि कार्यक्रमों का पठन पाठन पूर्ण करवाया जाता है ;

Signature of Parties

20/4/2023
प्राचार्या
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला
पी० जी० कालेज, गोरखपुर

20.4.23
Diptiman Sanskriti Foundation
for Art, Culture and Heritage

और भी चूंकि द्वितीय पक्ष महानगर गोरखपुर में सृजित एवं पंजीकृत एक प्रतिष्ठित न्यास है जिसके द्वारा कला, संस्कृति एवं विरासत के क्षेत्र में सामाजिक, अकादमिक, सांस्कृतिक एवं व्यावहारिक शोध एवं प्रशिक्षण आदि के क्षेत्र में लोकोपकारी कार्य किया जाता है ;

और भी चूंकि उभयपक्ष आपस में संपर्क, सहयोग, समन्वय और सहकार की भावना से अपने अपने लक्षित सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कल्याणकारी गतिविधियों के संचालन द्वारा योग्य मानव संसाधन के निर्माण हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए एक साथ कार्य करने की इच्छा रखते हैं ;

अतएव उभयपक्ष द्वारा अधोवर्णित सिद्धांतों, बातों एवं शर्तों पर यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित और निष्पादित किया जाता है :

1. यह कि उभयपक्ष मिलकर प्रथम पक्ष के अकादमिक परिसर में अध्ययनरत छात्रों एवं पूर्व छात्रों तथा अन्य विद्यार्थियों के कल्याणार्थ कला, संस्कृति एवं विरासत के क्षेत्र में विविध प्रकल्पों, गतिविधियों, कार्यक्रमों आदि का आपसी सहयोग व समन्वय से संचालन करेंगे ।
2. यह कि प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को उनके द्वारा कला, संस्कृति एवं विरासत के क्षेत्र में संचालित की जाने वाली गतिविधियों, कार्यक्रमों, प्रकल्पों आदि के सम्बन्ध में अपना पूर्ण सहयोग व समन्वय प्रदान करेंगे तथा उनके द्वारा अपेक्षित स्थान, भौतिक सामग्रियां एवं व्यवस्थाएं आदि आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध करवाएंगे।
3. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के अकादमिक परिसर में एवं उनके संयुक्त तत्वावधान में कला, संस्कृति एवं विरासत के क्षेत्र में विविध प्रकार की अकादमिक, सामाजिक, विधिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ, कार्यक्रम, प्रकल्प आदि का संचालन निश्चित अंतराल पर किया जाता रहेगा और प्रथम पक्ष की अपेक्षा पर उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा ।
4. यह कि उभयपक्ष इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत कला, संस्कृति एवं विरासत के क्षेत्र में की जाने वाली कोई भी गतिविधि, कार्यक्रम, प्रकल्प आदि का संचालन विशुद्ध अलाभकारी रीति से करेंगे जिसका मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण होगा ।
5. यह कि उभयपक्ष द्वारा इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत कला, संस्कृति एवं विरासत के क्षेत्र में संचालित किये जाने वाले किसी भी कार्यक्रम, गतिविधि,

Signature of Parties

20/4/2023
प्राचार्या
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला
पी० जी० कालेज,गोरखपुर

20/4/2023
PRINCIPAL TRUSTEE
Diptiman Sanskriti Foundation
for Art, Culture and Heritage

प्रकल्प आदि के सम्बन्ध में दस्तावेजीकरण की समस्त प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ पूरी की जायेगी।

6. यह कि उभयपक्ष को आपसी सहमति से इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत संचालित किये जाने वाले किसी भी कार्यक्रम, गतिविधि, प्रकल्प आदि के सम्बन्ध में नियम, परियोजना, मानक अनुपालन प्रक्रिया तथा अनुपालन संबंधी नियमावली आदि बनाने का पूरा अधिकार होगा और वे आपसी सहमति से उनमें परिवर्तन, परिवर्धन, निरस्तीकरण या नवीनीकरण आदि कर सकेंगे।

7. यह कि इस समझौता ज्ञापन की अवधि निष्पादन की तिथि से एक वर्ष पर्यन्त होगी।

8. यह कि इस समझौता ज्ञापन को दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष आपसी सहमति से किसी भी समय लिखित सूचना/पत्राचार द्वारा निरस्त कर सकते हैं।

9. यह कि उभयपक्ष द्वारा इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत संचालित किये जाने वाले किसी भी कार्यक्रम, गतिविधि, प्रकल्प आदि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद होने पर सिविल कार्रवाइयों के सम्बन्ध में कोई कार्रवाई न्यायालयी प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं की जायेगी, बल्कि मध्यस्थता और सुलह समझौते से ही निपटाई जायेगी, किन्तु आपराधिक कार्रवाइयों के सम्बन्ध में स्थापित विधिक प्रक्रिया का ही अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

उपर्युक्त के साक्ष्य स्वरूप उभयपक्ष पूर्ण चैतन्यता में शुद्ध भावना से उपर्युक्त वर्णित बातों, सिद्धांतों एवं शर्तों पर अपनी सहमति एवं प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए इस समझौता ज्ञापन को निष्पादित करते हैं।

दिनांक : 20/04/2023 स्थान : गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)

हस्ताक्षर अधिकृत हस्ताक्षरी
प्रथम पक्ष 20/4/2023
आचार्या
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला
पी० जी० कालेज, गोरखपुर

हस्ताक्षर अधिकृत हस्ताक्षरी
द्वितीय पक्ष

Signature of Parties

20/4/2023
PRINCIPAL TRUSTEE
[illegible] Sanskriti Foundation
for Art, Culture and Heritage
Registration No.- [illegible]